भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5343
दिनांक 05.04.2023 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश में खनिज

5343. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) मध्य प्रदेश (एमपी) में किन-किन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं;
(ख) क्या सरकार का विचार कोई नई खनिज नीति बनाने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वितरण का ब्यौरा क्या है;
(घ) मध्य प्रदेश को आबंटित प्रमुख खनिज संसाधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या खरगोन बड़वानी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 2015-16 से 2020-21 तक के अपने कार्य सत्र कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, ग्रेफाइट, सोना, मैंगनीज, लौह अयस्क, आधार धातु, ग्लौकोनाइट, चूना पत्थर आदि जैसे विभिन्न खनिजों के होने की पहचान की है और टिकारा-चिकलार एवं गौठाना, बिछिया, उकवा, चकारिया, इमलिया, घिसी, बिश्खान, धौकन, जमुवानीकला एवं भाटिया, बांसखापा-पिपरिया, खेरली मोगरा, बर्दी, देहलवाड़ा, गोलीघाट आदि जैसे विभिन्न स्थानों में संसाधनों का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग): खान मंत्रालय ने मार्च, 2019 में राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की घोषणा की है जिसने राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया। इसके बाद, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 में वर्ष 2020 एवं 2021 में संशोधन किया गया। खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के उद्देश्य राज्य सरकारों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति देना और नए पट्टाधारक को वैधानिक मंजूरी, अनुमति आदि को हस्तांतरित करने की अनुमति देना खनन कार्यों की निर्बाध निरंतरता को सुसाध्य बनाना हैं। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 में अन्य बातों के साथ-साथ खनिज उत्पादन को बढ़ाना और खानों का समयबद्ध प्रचालन, खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ाना, पट्टेदार के बदलने के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति को बढ़ाना और लंबे समय से लंबित मुद्दों जिन्होंने क्षेत्र के विकास को धीमा कर दिया है को हल करने का प्रावधान है। ये सुधार देश की खनिज आवश्यकता में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेंगे।

(घ): 2015-16 के बाद से खान और खनिज (विकास और विनियम) [एमएमडीआर] संशोधन अधिनियम, 2015, का अनुपालन करते हुए, जीएसआई ने बॉक्साइट (2), ग्रेफाइट (2), सोना (2), मैंगनीज (2), लौह अयस्क (3), बेसमेटल (7), ग्लौकोनाइट (3), चूना पत्थर (2) और जिंक (1) के लिए 24 संसाधन युक्त भूवैज्ञानिक रिपोर्टें (जीआर) नीलामी प्रक्रिया में विचार हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सौंपी हैं। हाल ही में, जीएसआई ने बेस मेटल (6), सोना (3), हीरा (3), ग्रेफाइट (8), मोलिब्डेनम (1), क्रोमियम-निकल और पीजीई (3), बॉक्साइट (1), लेटेराइट और बॉक्साइट (11), मैंगनीज (4) और फॉस्फोराइट (6) के लिए 48 भूवैज्ञानिक ज्ञापन (जीएम), मध्य प्रदेश राज्य सरकार को संयुक्त अनुज्ञप्ति हेतु सौंपे हैं।

(ङ) और (च): कार्य सत्र 2023-24 में, जीएसआई की बोमिया-कठोरा-कोसपुर क्षेत्र, बड़वानी जिले के आस पास वैनेडियम और दुर्लभ मृदा तत्व पर एक टोही गवेषण परियोजना और बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में भूकंपीय, पुरापाषाणकालीन परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है।

*****

अनुबंध-I

मध्यप्रदेश में जीएसआई द्वारा संवर्धित खनिज संसाधन का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य सत्र	खनिज	ब्लॉक	ज़िला	यूएनएफसी चरण	संसाधन मिलियन टन में
1	2015-16	ग्रेफाइट	टिकारा-चिकलार और गोठाना क्षेत्र	बैतूल	जी2	6.20
2	2016-17	लौह अयस्क	धौरा-उरधौरा	टीकमगढ़	जी4	13.92
3	2016-17	लौह अयस्क	सिहोरा-गोसालपुर	जबलपुर	जी4	56.50
4	2015-17	लौह अयस्क	मोतीझील ब्लॉक और अकबरपुर	ग्वालियर	जी3	1.38
5	2016-17	पोटाश एवं ग्लॉकोनाईटिक शेल	बिछिया	सिंगरौली	जी3	पोटाश: 1.32 ग्लॉकोनाईटिक शेल: 17.83
6	2016-17	मैंगनीज	उकवा	बालाघाट	जी2	2.60
7	2016-17	सोना	चकरिया	सीधी	जी2	0.13
8	2016-17	सोना	इमलिया	कटनी	जी2	0.35
9	2016-17	ताँबा, सीसा, जस्ता	घीसी	बैतूल	जी2	ताँबा: 0.31 सीसा: 0.31 जस्ता: 0.31
10	2016-17	जस्ता	बिसखन	बैतूल	जी2	2.15
11	2016-17	जस्ता	जंगलधेरी	छिंदवाड़ा	जी2	1.56
12	2017-18	लौह	धौकन	टीकमगढ़	जी2	18.56
13	2017-18	जस्ता	केहलपुर (पूर्व)	बैतूल	जी3	1.25
14	2017-18	पोटाश	बरहत	सिंगरौली	जी3	5.99
15	2017-18	लौह अयस्क	धौरा-उरधौरा	टीकमगढ़	जी3	10.01
16	2017-18	मैंगनीज	गुडमा	बालाघाट	जी3	0.16
17	2017-18	ग्रेफाइट	गोलीघाट-जुनावानी-बोरगांव और राठीपुर-चिखली-भोपाली क्षेत्र	बैतूल	जी4	0.26
18	2017-18	ग्रेफाइट	गोलीघाट-जुनावानी-बोरगांव और राठीपुर-चिखली-भोपाली क्षेत्र	बैतूल	जी4	3.83
19	2018-19	चूना पत्थर और बॉक्साइट	जमुवानी कला और भाटिया	सतना	जी2	चूना पत्थर: 15.71 बॉक्साइट: 457,622 टन
20	2018-19	जस्ता और ताँबा	बांसखापा-पिपरिया उपखंड-I का दक्षिण-पश्चिमी भाग	बैतूल	जी2	जस्ता: 2.0 ताँबा: 1.78
21	2018-19	चूना पत्थर	खेरली मोगरा क्षेत्र	अलीराजपुर एवं धार	जी2	33.07
22	2018-19	ग्लौकोनाईट	बारडी ब्लॉक	सिंगरौली	जी2	ग्लॉकोनाईटिक शेल -11.9 ग्लॉकोनाईटिक बलुआ पत्थर: 4.7
23	2019-20	जस्ता	देहलवारा	बैतूल	जी2	1.37
24	2019-20	ग्रेफाइट और वैनेडियम	मकरा और जुनावानी	बैतूल	जी3	ग्रेफाइट: 0.61 वैनेडियम: 0.49
25	2019-20	ग्रेफाइट और वैनेडियम	गोलीघाट	बैतूल	जी2	ग्रेफाइट: 3.16 वैनेडियम: 2.72
26	2020-21	सोना अयस्क	सोनकुरवा	सिंगरौली	जी3	89152.63 टन
27	2020-21	ताँबा अयस्क	लखनौती और ऐनती	ग्वालियर	जी3	0.12